

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

No. 22]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2016

का.आ. 23(अ).—केन्द्र सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ विचार-विमर्श करके शिमला को नई दिल्ली के अलावा ऐसे सत्रहवें स्थान के रूप में अधिसूचित करती है जहां उक्त आयोग अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।

[फा. सं. जे-1/9/2015-सी.पी.यू.]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना दिनांक 31.08.2004 के का.आ. 974(अ), के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 30.11.2007 के का.आ. 2018(अ), 01.01.2009 के का.आ. 10(अ), और 19.08.2014 के का.आ. 2163(अ) के तहत इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2016

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22C of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, in consultation with the National Consumer Disputes Redressal Commission hereby notifies Shimla as the seventeenth place other than New Delhi at which the said Commission shall perform its functions.

[F. No. J-1/9/2015-CPU]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note : The principal Notification was published in the Gazette of India vide S.O. 974(E), dated 31.08.2004 and subsequently amended vide S.O. 2018(E), dated 30.11.2007, S.O. 10(E), dated 01.01.2009 and S.O. 2163(E), dated 19.08.2014.